



सत्यमेव जयते

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1540/DL/5/2023-APCR

Date : 24.05.2024

सेवा में,

**श्री संजय अरोरा**

पुलिस आयुक्त,

पुलिस आयुक्त का कार्यालय,

दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

Email Id: [cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in](mailto:cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in)

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के सम्बन्ध में श्री महावीर कुमार मीणा, फ्लैट न .443, 2nd फ्लोर , सेक्टर A-10, पॉकेट - 6 , नरेला, दिल्ली की शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)

अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

Email ID : [hari.rammeena@ncst.nic.in](mailto:hari.rammeena@ncst.nic.in)

**प्रतिलिपि:**

**श्री महावीर कुमार मीणा,**

फ्लैट न .443, 2<sup>nd</sup> फ्लोर ,

सेक्टर A-10, पॉकेट - 6 ,

नरेला, दिल्ली -110040,

मो न :9873485553

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:**

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(2) NIC for uploading



**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**NCST/ATY-1540/DL/5/2023-APCR**

श्री महावीर कुमार मीना, फ्लैट न. 443, सेक्टर A-10, पॉकेट -6, नरेला, नई दिल्ली को श्री सतेन्द्र कुमार द्वारा सामान्य छत का उपयोग करने से रोकने, उनके साथ गाली- गलौज करने व जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024, 11:30 A.M.

सिटिंग में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री महावीर कुमार मीना, फ्लैट न .443, 2nd फ्लोर , सेक्टर A-10, पॉकेट – 6 , नरेला, दिल्ली के द्वारा आयोग को दिनांक 20-11-2023 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति उनको छत का उपयोग करने से रोक रहा है जोकि शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र का भी हिस्सा है आरोपी ने छत के गेट पर अपना ताला लगा रखा है जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तब आरोपी ने शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। शिकायतकर्ता के साथ आरोपी इसी विषय पर पहले भी गाली- गलौज कर चुका है, इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है जिस पर स्थानीय पुलिस के माध्यम से आरोपी ने कुछ समय के लिए गेट से ताला खोल लिया था पर वर्तमान में उसने दुबारा ताला लगा दिया है और शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है | इसलिए उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में उनको इंसाफ दुलवाएं और आरोपियों पर कार्रवाई करे |

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 07/12/2023 को नोटिस भेजा गया था जिसके संबंध में दिल्ली पुलिस से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, श्री संजय अरोरा, दिल्ली पुलिस के साथ आयोग में सुनवाई/ सिटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस की ओर से आयोग के समक्ष श्री रवि कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त, बाहरी उत्तरी जिला और सहयोगी श्री अजय कुमार, ए.सी.पी. व श्री राजेश एस.एच.ओ, उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री महावीर कुमार मीना भी उपस्थित हुए। प्रकरण में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें श्री रवि कुमार सिंह, ओ.एन.डी. दिल्ली पुलिस व शिकायतकर्ता श्री महावीर कुमार मीना ने प्रकरण से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए।

Contd.....P/2.



5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएं की जाती है:-

- पुलिस उपायुक्त, बाहरी उत्तरी जिला द्वारा इस मामले में दर्ज FIR पर शीघ्र आगे जांच कार्रवाई की जाए और आयोग को अवगत कराया जाए।
- पीड़ित को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के नियमों के तहत राहत राशि का भुगतान किया जाए।
- भविष्य में आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 7 दिन की अवधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

*आशा लकड़ा*

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra  
सदस्य/Member  
भारत सरकार/Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली/New Delhi



NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES  
Case File No.- NCST/ATY-1540/DL/5/2023-APCR

List of participants

**Officers from National Commission for Scheduled Tribes**

Dr. Asha Lakra (In Chair)  
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam  
Director

Shri R.K. Dubey  
Deputy Director

Shri H.R. Meena  
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini  
Investigator

**Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police**

Shri Ravi Kumar Singh  
DCP/Outer North District

Shri Ajay Kumar  
ACP/Narela

Shri Rajesh  
SHO/Narela

**Petitioner**

Shri Mahaveer Kumar Meena